राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–927/2013

बाबूलाल शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक/आयुक्त, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, भरतपुर।
4. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, नदबई, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.07.2013
आदेश की दिनांक : 23.07.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री डी.पी. शर्मा अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है:–

"It is, therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to accept this appeal and the respondents may be directed to provide the benefit of senior and selection grade as per the Rajasthan Civil Services Revised Pay Scale Rules, 1998, the benefit of Assured Career Progression (ACP) under the Rajasthan Civil Services Revised Pay Scale Rules, 2008 after completion of 9,18 and 27 years service, benefit of Rajasthan Civil Services Revised Pay Scale Rules, 2008, amount of bonus w.e.f. year 2005 to 2008 and may be directed to sanctioned leave w.e.f. 1-3-2006 to 30-4-2006 and 1-8-2006 to 16-4-2007 and the services of the appellant may be consider as regular and above mentioned benefits may be provided with interest at the rate of 24% per annum to the appellant as per the provisions of law.

Any other order or directions, which this Hon'ble Tribunal deems fit and proper may also be passed in favour of the appellant."

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि अपील प्रस्तुत होने के बाद अपीलार्थी के संबंध में वेतन स्थिरीकरण का आदेश

दिनांक 27.09.2016 को पारित किया जा चुका है। अपीलार्थी को एसीपी का लाभ भी आदेश दिनांक 16.05.2017 के द्वारा प्रदान किया गया है एवं उसके बाद में अपीलार्थी को एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्डस्वरूप पुनः वेतन निर्धारण किया गया है, जिसके संबंध में आदेश दिनांक 03.06.2017 पारित किया गया है एवं अपीलार्थी को तृतीय एसीपी का लाभ भी आदेश दिनांक 23.05.2017 के द्वारा दिया जा चुका है।

3. हम पाते हैं कि अपीलार्थी को उसके द्वारा चाहा गया अनुतोष उसे प्राप्त हो चुका है, परंतु यह भी प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी को जो वेतन स्थिरीकरण एवं एसीपी का लाभ प्रदान किया गया है, उक्त लाभ अपील प्रस्तुत करने के पश्चात देरी से प्रदान किये गये हैं। अपीलार्थी को समय पर उक्त लाभ प्रदान नहीं किये जाने का कोई उचित कारण नहीं है। अतः प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को जो एसीपी का लाभ देय दिनांक के पश्चात अपील प्रस्तुत करने की दिनांक के बाद प्रदान किये गये हैं, उन पर अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 24.07.2013 से भुगतान किये जाने की दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज राशि अदा करें।

4. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)